SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

The Constitution (Amendment) Bill, 2020 (substitution of new Article for Article 130)

SHRI P. WILSON (Tamil Nadu): Sir, I move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

The question was put and the motion was adopted.

SHRI P. WILSON: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, Dr. Abhishek Manu Singhvi. He is not present.

3.00 P.M.

The Companies (Amendment) Bill, 2019

डा. विनय पी. सहस्रबुद्धे (महाराष्ट्र) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

"कि कंपनी अधिनियम, 2013 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मान्यवर, इस विधेयक को आज सदन के सम्मुख लाते समय इसकी कुछ भूमिका है, जिसको मैं कम समय में स्पष्ट करना चाहता हूँ। हम सब जानते हैं कि स्वाधीनता के 75वें वर्ष में हम "आज़ादी का अमृत-महोत्सव" मना रहे हैं। अगर हम एक कटाक्ष डालते हैं कि स्वाधीनता के बाद हमें किन चीज़ों में तीव्र गति से आगे बढ़ना जरूरी था, तो हमें कई चीज़ें पता चलती हैं। अगर मैं शिक्षा की बात करूँ, हमारी सांस्कृतिक विरासत के बारे में जो कदम उठाने की जरूरत थी, उनकी बात करूँ, तो इन बहुत सारे विषयों में एक दृष्टि से एक उपेक्षा का दृष्टिकोण रहा। हमने Lord Macaulay और उसके minutes की चर्चा कई बार इस सदन में भी की है और उसकी चर्चा बाहर भी होती रही है, मगर लगता है कि Macaulay की छाया से इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बाहर लाने का जो एक बहु-प्रतीक्षित कार्य था, वह केवल नई शिक्षा नीति के कारण होने की एक आशा निर्मित हुई है, क्योंकि नई शिक्षा नीति देश की शिक्षा व्यवस्था में एक आमूल-चूल परिवर्तन करती है। उसी तरीके से, अन्यान्य विषयों में भी बहुत जरूरी था कि हम परिवर्तन का रास्ता अपनाएँ। देश का जो स्वभाव है, देश की जो प्रकृति है, देश की जो मूल पहचान है, उस रास्ते पर हम जाएँ, मगर दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ। ऐसी कई सारी बातें, जो स्वाधीनता के पहले थीं, उनको हमने जस-का-तस रखा और हम आगे बढ़ते गए। लोग कहने लगे कि गोरा अंग्रेज़ तो चला गया है, मगर उसकी जगह काले अंग्रेज़ ने ले ली है। यह मात्र 10 साल की बात है, उसके लिए कोई बहुत ज्यादा समय नहीं लगा। 1957 तक लोगों के अंदर यह स्वर पनपने लगा कि अंग्रेज़ तो